बर्फबारी से कश्मीर का बाकी देश से संपर्क टूटा

दिल्ली व आसपास के इलाकों में कल से न्यूनतम पारा फिर गिरने का अंदेशा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

श्रीनगर हवाईअड्डे पर भारी बर्फबारी से शनिवार को न तो किसी विमान ने उड़ान भरी और न कोई विमान उतरा।
बर्फबारी के बाद 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को यातायात रोक दिया गया।
उत्तर रेलवे की करीब दर्जन भर से अधिक रेल सेवाएं कोहरे के कारण प्रभावित।

जम्मू कश्मीर सहित पहाड़ों में इस महीने लगातार तीसरी बार हो रही बर्फबारी व उत्तर के मैदानों में घने कोहरे से जहां लोगों को हाड़ कंपाती ठंड से दो-चार होना पड़ रहा है वहीं इस मौसमी मार से अगल-अलग जगह रेल, सड़क व हवाई यातायात सेवाएं भी चरमरा गई हैं। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में आवाजाही पर असर पड़ा है। ठंड से मैदानी इलाकों में लोग घरों में सिमटे रहे। पंजाब और हरियाणा में शनिवार को न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज होने के बाद तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों राज्यों की साझी राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में भी सर्द हवाओं का दौर है। अनुमान है कि रविवार को न्यूनतम तापमान में अधिकांश जगहों पर दो से चार डिग्री की बढ़त हो सकती है। इसके बाद देश का पश्चिमोत्तर हिस्सा एक बार फिर 25 व 26 को एक बार फिर सर्द हवाओं के आगोश में चला जाएगा।

मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह भीषण ठंड व घने कोहरे के आगोश में संपन्न होगा। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री दर्ज किया गया वहीं अनुमान है कि 26 जनवरी को यह गिरकर पांच व 27 को चार डिग्री पहुंच जाएगा। इस दौरान राजधानी व आस पास के समूचे इलाकों में घने कोहरे का भी अनुमान है।

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के जवाहर सुरंग के दोनों हिस्सों में भी बर्फबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर हवाईअड्डे पर सुबह हवाई पट्टी पर बर्फ जमा होने से विमानों का परिचालन प्रभावित रहा। बर्फबारी होने के बाद 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को यातायात रोक दिया गया। कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार माने जाने वाले जवाहर सुरंग के दोनों ओर बर्फबारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी तड़के शुरू हुई थी और आखिरी रिपोर्ट मिलने तक जारी थी। घाटी में श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में शनिवार इस महीने तीसरी बार बर्फबारी हुई है और आसमान में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में करीब 10 इंच तक बर्फबारी हुई। एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर हवाईअड्डे पर आज सुबह से न किसी विमान ने उड़ान भरी और न कोई उतरा। उन्होंने बताया कि रनवे पर भी काफी बर्फ इकट्ठी हो गई है। अब भी बर्फबारी हो रही है जिससे हवाई उड़ान के लिए रनवे को साफ करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) शमशेर सिंह ने बताया कि जवाहर सुरंग के दोनों ओर सड़क काफी फिसलन भरी हो गई है, जिसके बाद सुबह करीब 11 बजे वाहनों का आवागमन रोकना पड़ गया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने सड़क से बर्फ हटाने के काम में अपने कर्मियों को लगाया है। उत्तर रेलवे की करीब दर्जन भर से अधिक रेल सेवाएं कोहरे के कारण प्रभावित हुई हैं। जबकि एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा कम कर के 75 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दी गई है।

'बीस साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी को ठुकराना गलत'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर व्यवस्था दी है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी को खारिज करना कानून की दृष्टि से खराब है। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ चल रही तमाम विभागीय जांच व कार्यवाही उसके सेवानिवृत्त होते ही स्वतः शून्य हो जाएंगी क्योंकि इसके बाद सेवायोजक-सेवक का कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह के एक पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए यह व्यवस्था दी है।

हाई कोर्ट ने सेवायोजक इंडियन बैंक को निर्देश दिया था कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत देय सभी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जाए जो पेंशन नियमन 1995 के मुताबिक हो। हाई कोर्ट ने बैंक द्वारा जारी उस पत्र को भी रद्द कर दिया था जिसके द्वारा कर्मचारी को न केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बल्कि सेवानिवृत्ति लाभ भी नकार दिए गए थे।

जिस कर्मचारी के मामले में यह विवाद हुआ उसे बैंक ने 1998 में श्रीलंका की कोलंबो स्थित शाखा में मुख्य प्रबंधक के पद पर स्थानांतरित कर दिया था। उसके बाद उसे नई दिल्ली में डिफेंस कालोनी शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी बीच कर्मचारी का बेटा बीमार हो गया और उन्होंने लंदन जाने के लिए तीस दिन का अवकाश मांगा। बाद में उन्होंने अवकाश बढ़ाने की अर्जी भेजी। लेकिन सेवायोजक बैंक प्रबंधन ने उनकी छुट्टी बढ़ाने की की अर्जी को भी नामंजूर करते हुए उन्हें डिफेंस कालोनी शाखा में काम पर आने की हिदायत दी। मुख्य प्रबंधक ने इसके बाद सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। साथ ही उन्होंने तीन महीने की नोटिस अवधि को खत्म करने का भी आग्रह किया। लेकिन प्रबंधन ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट ने यह कहकर चूक की है कि उन्हें कोलंबो में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। वास्तव में उन्हें विदेशी शाखा में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की गहन समीक्षा के बाद माना कि बीस साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का अधिकार है पर उसे तीन महीने पहले आवेदन करना चाहिए। उसकी इस अवधि को खत्म करने की फरियाद को भी गुणदोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए था।

दावोस शिखर सम्मेलन आज से, 28 जनवरी को मोदी करेंगे संबोधित

नई दिल्ली/दावोस, 23 जनवरी (भाषा)।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन रविवार से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के अन्य शीर्ष नेता इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

यह इस साल का पहला बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 1,000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। इनमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकारों के प्रमुख, बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) व चेयरमैन, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख, शैक्षणिक क्षेत्र और नागरिक समाज से जुड़े दिग्गज शामिल हैं। दुनिया के ये दिग्गज कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।

डब्ल्यूईएफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 28 जनवरी को इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। छह दिन का शिखर सम्मेलन 24 से 29 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उद्योग जगत के दिग्गज मसलन आनंद महिंद्रा, सलिल पारेख और शोभना कामिनेनी भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी।

अमिताभ ने गोपीनाथ की सुंदरता की तारीफ की, सोशल मीडिया पर कई लोग भड़के

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

अमिताभ बच्चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक हालिया एपिसोड के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की सुंदरता की तारीफ की। इसको लेकर गोपीनाथ ने अभिनेता का आभार प्रकट किया लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों को उनकी टिप्पणी रास नहीं आई।

गोपीनाथ ने शुक्रवार को ट्विटर पर शो की एक क्लिप साझा की, जिसमें बच्चन ने एक प्रतिभागी से स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीर में व्यक्ति की पहचान करने संबंधी सवाल पूछा। गोपीनाथ की तस्वीर को पर्दे पर दिखाते हुए बच्चन ने पूछा, 'इस तस्वीर में नजर आ रहीं महिला 2019 से किस संस्था की मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं।' इस दौरान उन्होंने कहा, 'उनका चेहरा इतना सुंदर है कि कोई भी उन्हें अर्थशास्त्र से जोड़ नहीं सकता।'

महानायक के इस प्रशंसा से गदगद गोपीनाथ ने अपने पोस्ट में कहा कि वह काफी लंबे समय से बच्चन की प्रशंसक हैं और यह वीडियो हमेशा उनके लिए खास रहेगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इसे भूल पाऊंगी। सर्वकालिक महान बिग बी श्री बच्चन की बहुत बड़ी प्रशंसक के रूप में मेरे लिए यह बहुत ही विशेष है!' हालांकि, एपिसोड के दौरान बच्चन की यह टिप्पणी कई लोगों को रास नहीं आई। कई लोगों ने बच्चन की इस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की।

एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, 'गीता गोपीनाथ पर अमिताभ बच्चन कहते हैं, उनका चेहरा इतना सुंदर है कि कोई भी उन्हें अर्थशास्त्र के साथ नहीं जोड़ेगा', लेकिन गीता गोपीनाथ को यह कहकर प्रशंसा लौटा देनी चाहिए कि 'उनका मस्तिष्क इतना छोटा है कि कोई भी उन्हें बुद्धि से नहीं जोड़ेगा।'

एक अन्य ने लिखा, 'अमिताभ बच्चन ने कहा कि गीता गोपीनाथ का चेहरा इतना सुंदर है कि कोई भी इन्हें अर्थशास्त्र के साथ नहीं जोड़ेगा। इसका अर्थ है- 1. अर्थशास्त्र में महिलाएं सुंदर नहीं होती हैं। 2. अच्छी दिखने वाली महिलाएं अर्थशास्त्री नहीं हो सकती हैं। 3. सौंदर्य और दिमाग एक साथ नहीं हो सकता। 4. मैं एक पितृसत्तात्मक मूर्ख हूं।'

तमिलनाडु मे ईसाई मत के प्रचार परिसर पर छापेमारी

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

आयकर विभाग ने तमिलनाडु में ईसाई मत का प्रचार करने वाले कम से कम 25 परिसरों पर छापेमारी के बाद 118 करोड़ रुपए की कथित अघोषित आय का पता लगाने का दावा किया। यह जानकारी शनिवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी।

छापेमारी की शुरुआत 20 जनवरी को की गई थी। आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा, 'शनिवार को छापेमारी समाप्त होने के बाद विभाग ने पॉल दिनाकरण के कोयंबटूर स्थित आवास से 4.7 किलोग्राम सोने की ईंट बरामद की।' दिनाकरण ईसाई मिशनरी 'जीसस कॉल्स' के प्रमुख हैं जिसकी अंतरराष्ट्रीय शाखाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि छापेमारी में 118 करोड़ रुपए का आय छिपाने का पता चला है।

पंचाट के खाली पदों को भरने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में धनशोधन निरोधक अधिनियम अपीली न्यायाधिकरण में अध्यक्ष, सदस्य और अन्य पदों को भरे। वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि अगस्त 2019 में मीडिया में आई खबरों से ऐसा लग रहा था कि सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुनील गौड़ अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। यह अधिकरण धनशोधन समेत विभिन्न कानूनों के तहत आर्थिक अपराध संबंधी मामलों को देखता है।

कोरोना के नए रूप से संक्रमितों की संख्या 150 हुई

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन में सामने आए कोविड-19 के नए प्रकार से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भारत में बढ़कर 150 हो गई है। मंत्रालय ने पहले कहा था कि इन सभी संक्रमित व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट स्वास्थ्य केंद्रों में अलग-अलग कमरों में एकांतवास में रखा गया है।

इन संक्रमितों के नजदीकी सम्पर्क में आए व्यक्तियों को भी एकांतवास में रखा गया है। साथ ही इन संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए उनके सह-यात्रियों, पारिवारिक सदस्यों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अन्य नमूनों का जीनोम सिक्वेसिंग का कार्य चल रहा है। स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जा रही है और राज्यों को निगरानी, जांच बढ़ाने व नमूनों को आईएनएसएसीओजी (इंडियन एसएआरएस-सीओवी-2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम) प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए राज्यों को नियमित सलाह दी जा रही है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

पत्रांक: सीडब्ल्यूसी/आरओ-लख/सीडी/सेमो-पीएफटी/2020-21 दिनांक 23.01.2021

स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेन्ट आपरेटर की नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना

इच्छुक निविदादाताओं से सी0डब्लू0-मुजफ्फरनगर-बी0डी0, बामनहेरी, पी0ओ0-रामपुर मुजफ्फरनगर के अन्दर स्थित डोमेस्टिक रेल लिंक्ड इन्फास्ट्रक्चर के संचालन, रखरखाव और आगे के विकास हेतु स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेन्ट ऑपरेटर (SAMO) की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण केन्द्रीय भण्डारण निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in एवं cppp वेबसाइट www.cppp.gov.in पर देखे व डाउनलोड किए जा सकते हैं एवं आनलाइन निविदा वेबसाइट www.cwceprocure.com पर दी जा सकती है। निविदा डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 23.02.2021 एवं जमा करने की अन्तिम तिथि 24.02.2021

क्षेत्रीय प्रबन्धक

दक्षिण मध्य रेलवे

Follow us on @SCRailwayIndia
द.म. रेलवे की निविदा सूचना का विवरण हमारी वेबसाईट: www.scr.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

जनवरी-2021 माह की विशेष ई-नीलामी तथा मार्च एवं अप्रैल-2021 माह की ई-नीलामी का कार्यक्रम

PUB/0049/21

ई-नीलामी की तिथि : 25.01.2021
डिवीजन : गुंताकल

मार्च ई-नीलामी-2021

तिथि	डिवीजन/डिपो
01.03.21	रायनापाडु, तिरुपति
02.03.21	सिकन्दराबाद
03.03.21	विजयवाड़ा, हैदराबाद
04.03.21	लल्लागुडा, नांदेड़
05.03.21	गुंताकल, गुंटूर
08.03.21	रायनापाडु, तिरुपति
09.03.21	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुंताकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रायनापाडु, तिरुपति
10.03.21	विजयवाड़ा, हैदराबाद
12.03.21	लल्लागुडा, नांदेड़
15.03.21	गुंताकल, गुंटूर
16.03.21	रायनापाडु, तिरुपति
17.03.21	सिकन्दराबाद
18.03.21	विजयवाड़ा, हैदराबाद
19.03.21	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुंताकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रायनापाडु, तिरुपति
22.03.21	गुंताकल, गुंटूर
23.03.21	रायनापाडु, तिरुपति
24.03.21	सिकन्दराबाद
25.03.21	विजयवाड़ा, हैदराबाद
26.03.21	लल्लागुडा, नांदेड़
30.03.21	गुंताकल, गुंटूर
31.03.21	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुंताकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रायनापाडु, तिरुपति

अप्रैल ई-नीलामी 2021

तिथि	डिवीजन/डिपो
05.04.21	सिकन्दराबाद
06.04.21	विजयवाड़ा
07.04.21	हैदराबाद
08.04.21	नांदेड़
09.04.21	गुंताकल
12.04.21	गुंटूर
14.04.21	लल्लागुडा
15.04.21	रायनापाडु
16.04.21	तिरुपति
19.04.21	सिकन्दराबाद
20.04.21	विजयवाड़ा
22.04.21	हैदराबाद
23.04.21	नांदेड़
26.04.21	गुंताकल
27.04.21	गुंटूर
28.04.21	लल्लागुडा
29.04.21	रायनापाडु
30.04.21	तिरुपति

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक
A0070 सिकन्दराबाद

अधिक निविदा शर्तों/विवरणों तथा निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाइट https://www.ireps.gov.in अथवा www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबंध (क) के मामले में

तथा

पाई क्रिस्टल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-35, भूतल, सेक्टर-63, फेज-III, नोएडा, उ.प्र. 201306 पर है

.... याचिकाकर्ता

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''उत्तर प्रदेश राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए 4 दिसम्बर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :
एच-35, भूतल, सेक्टर-63, फेज-III, नोएडा, उ.प्र. 201306

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
पाई क्रिस्टल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ह./-
(जगप्रीत सिंह)
निदेशक
डीआईएन : 02809951

तिथि : 08.01.2021
स्थान : उत्तर प्रदेश

UPSIDA
कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (वि0), विद्युत खण्ड-द्वितीय
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन, सेक्टर बी-3, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, लोनी, गाजियाबाद, E-Mail: ed2@upsidc.com

ई-निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जनपद-मुरादाबाद के औद्योगिक क्षेत्र एसईजेड, मुरादाबाद में स्थापित स्ट्रीट लाइटों के वार्षिक अनुरक्षण कार्य जिसकी अनुमानित लागत रू0 23.42 लाख है, हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणो/परिषदों/नगर निकायों में अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से ई-निविदाये आंमत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 27.01.2021 को 11:00 बजे से दिनांक 20.02.2021 को 15:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। जिसे दिनांक 20.02.2021 को 16:00 बजे या इसके पश्चात् खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मूल प्रतियाँ दिनांक 23.02.2021 को 17:00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी website: www.upsidc.com पर स्थापित लिंक यूपीएलसी की website: https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (वि0)
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, गाजियाबाद।

UPSIDA
कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), ट्रांसगंगा सिटी परियोजना
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
जनपद - उन्नाव।

अल्पकालीन निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूपीसीडा की निम्न परियोजनाओं का ड्रोन सर्वे का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
1. जनपद-उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी परियोजना (1100.00 एकड़)
2. जनपद-प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना (1100.00 एकड़)
3. जनपद-आगरा में थीमपार्क परियोजना (1000.00 एकड़)

उक्त परियोजनाओं के ड्रोन सर्वे के स्कोप आफ वर्क के अनुसार बिल आफ क्वांटिटी दिनांक 27.01.2021 तक **कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), ट्रांसगंगा सिटी, उन्नाव** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है उक्त कार्य के लिये पंजीकृत/अधिकृत अनुभवी इच्छुक फर्मों द्वारा समस्त करों सहित दरें अंकित करके दिनांक 30.01.2021 को सायं 5.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
ट्रांसगंगा सिटी, उन्नाव।

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16, मार्केट, फरीदाबाद,
फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 03.11.2020 जारी कर ऋणधारकों: श्री शेखर कुमार सिंह, पुत्र श्री सुशील सिंह, एच. नं. एफएसी 100, सी/ओ पुष्पा रानी, गली नं. 6, मुकेश कॉलोनी, सिटी पार्क के निकट, बल्लभगढ़-121004 तथा गारन्टरों 1) श्री शेखर कुमार सिंह, पुत्र श्री सुशील सिंह सी/ओ अल्ट्रा बायरिंग, कनैक्टिविटी सिस्टम लि. 287-1 तथा 8, सेक्टर-59, एचएसआईडीसी इंड. एरिया, बल्लभगढ़-121004, श्री शेखर कुमार सिंह, पुत्र श्री सुशील सिंह, प्लॉट नं. 1648, सेक्टर-56-56-ए, फरीदाबाद-121006 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 16,23,467.00 (रुपए सोलह लाख तेईस हजार चार सौ सड़सठ मात्र)+ अनुषांगिक खर्चे, चार्जेज आदि के साथ 03.11.2020 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खाता सं. 38269424047 तथा 38289412822 के माध्यम से ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 जनवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 16,23,467.00 (रुपए सोलह लाख तेईस हजार चार सौ सड़सठ मात्र)+ अनुषांगिक खर्चे, चार्जेज आदि के साथ 03.11.2020 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज की राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति प्लॉट नं. 1648, सेक्टर-56-56ए, फरीदाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 24.01.2021 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16, मार्केट, फरीदाबाद
फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.10.2019 जारी कर ऋणधारकों: श्रीमती कणक राजपूत तथा श्री शरद प्रताप सिंह, एच.नं. 2634, सेक्टर-3, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 तथा गारन्टरों: श्री शरद प्रताप सिंह, पुत्र श्री गवन्द कुमार, सी/ओ व्हर्लपूल इंडिया लि., प्लॉट नं. 40, सेक्टर-44, गुड़गांव-44 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 17,42,399.00 (रुपए सत्तरह लाख बयालिस हजार तीन सौ निन्यानवे मात्र) + अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 16.10.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खाता सं. 38139444132 तथा 38139826041 के माध्यम से ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जनवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 17,42,399.00 (रुपए सत्तरह लाख बयालिस हजार तीन सौ निन्यानवे मात्र) + अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 16.10.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज की राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति एच.नं. 2634/ एलआईजी, भू तल, एचबीसी, सेक्टर-3, फरीदाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 24.1.2021 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29.04.2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली, भारत कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U22100DL2016PTC298730
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट सं. 103/3 एम, कनॉट सर्कस, दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110001, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19 जनवरी, 2021 (आदेश 23.01.2021 को प्राप्त)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	18.07.2021
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	राजेश रमनानी, पंजीकरण सं.: IBBI/ IPA-002/ IP-N00993/ 2020-21/ 13187
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पंजीकृत पता : डी-44, दूसरी मंजिल, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028, ई-मेल: rajeshramnani2407@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	कार्यालय पता: 83, राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, शंकर चौक, निकट एम्बिएन्स मॉल/ डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002 ई-मेल: cirp.turtlebooks@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	02.02.2021
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	प्रयोज्य नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	प्रयोज्य नहीं
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	(a) www.bbi.gov.in (b) प्रयोज्य नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध 19 जनवरी, 2021 (आदेश 23.01.2021 को प्राप्त हुआ) को कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 2 फरवरी, 2021 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में सम्बद्ध श्रेणी (अप्रयोज्य) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध वर्ग (अप्रयोज्य) के तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निदर्शित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

राजेश रमनानी
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993/2020-21/13187
तिथि: 23 जनवरी, 2021
स्थान: गुरुग्राम

Edelweiss Asset Reconstruction
ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन : U67100MH2007PLC174759
पंजीकृत कार्यालय : ईडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098.
रिटेल केन्द्रीय कार्यालय: प्रथम तल, ईडेलवीज हाउस ऑफ सीएसटी रोड, निकट मुम्बई विश्वविद्यालय, कलीना, मुम्बई-400098
शाखा कार्यालय : 606, 6ठी मंजिल, 26ए, आकाश दीप बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट IV [नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, यहां उल्लिखित एसाइनर के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणकर्ता(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए निम्नलिखित के अनुसार माँग सूचना जारी की थी।

इसके पश्चात एसाइनर ने ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को वित्तीय आस्तियाँ साथ ही यहां नीचे उल्लिखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में स्वयं/क्षमता में कार्यरत (इसके पश्चात ''ईएआरसी'' कहा जायेगा) को समनुदेशित कर दीं। सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया और कर्जदार द्वारा ली गयी वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में समनुदेशक के प्रतिभूति हितों, गारंटियों, संकल्पों के समस्त अधिकार, स्वामित्व तथा हित ईएआरसी में निहित हो गये जो प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपने समस्त अधिकारों का उपयोग करता है।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित कराने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में ऋणकर्ताओं/जमानतियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एसाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	कर्जदार का नाम एवं सह-कर्जदार(रों) का नाम	राशि तथा मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	कब्जे की स्थिति
देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-371	1014897 [970- 0002517]	गुलबहार अहमद (कर्जदार), मोमिना (सह-कर्जदार)	रु. 12,53,097.06/- (रुपये बारह लाख तिरेपन हजार सत्तानबे एवं छः पैसे मात्र) 20.10.2020	19.01.2021	सांकेतिक कब्जा
सम्पत्ति का विवरण : बंधक सम्पत्ति/एक पूर्वाभिमुख आवासीय मकान, भूमि सहित, प्लॉट निजी सं. 24 पर निर्मित, खसरा नं. 97 एवं 97/1, 98, 99, 100 का सम्पूर्ण भाग, कुल माप : 120 वर्ग गज, 100.33 वर्ग मीटर के समतुल्य, ग्राम उग्रहू, मुस्तहकम, परगना हरोरा, तहसील एवं जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001 पर स्थित, विक्रय विलेख सं. 6986 के माध्यम से, विक्रय विलेख दिनांक 04.10.2014 को सहारनपुर में रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण के माध्यम से।						
देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-371	1245006 [970- 0004437]	गुलबहार अहमद (कर्जदार), मोमिना (सह-कर्जदार)	रु. 10,29,378.72/- (रुपये दस लाख उनतीस हजार तीन सौ अठहत्तर एवं बहत्तर पैसे मात्र) 20.10.2020	19.01.2021	सांकेतिक कब्जा
सम्पत्ति का विवरण : बंधक सम्पत्ति/एक पूर्वाभिमुख आवासीय मकान, भूमि सहित, प्लॉट निजी सं. 24 पर निर्मित, खसरा नं. 97 एवं 97/1, 98, 99, 100 का सम्पूर्ण भाग, कुल माप : 120 वर्ग गज, 100.33 वर्ग मीटर के समतुल्य, ग्राम उग्रहू, मुस्तहकम, परगना हरोरा, तहसील एवं जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001 पर स्थित, विक्रय विलेख सं. 6986 के माध्यम से, विक्रय विलेख दिनांक 04.10.2014 को सहारनपुर में पंजीकरण के माध्यम से।						
देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-371	1483241 [286- 00001098]	श्यामलाल (कर्जदार)/मुनेश देवी (सह-कर्जदार)	रु. 19,28,463.88/- (रुपये उन्नीस लाख अट्ठाईस हजार चार सौ तिरेसठ एवं अट्ठासी पैसे मात्र) 20.10.2020	19.01.2021	सांकेतिक कब्जा
सम्पत्ति का विवरण : बंधक सम्पत्ति/आवासीय मकान, प्लॉट क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम 13 फीट 6 इंच, उत्तर से दक्षिण 30 कुल माप क्षेत्रफल 45 वर्ग गज या 37.62 वर्ग मीटर पर स्थित का सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 1 एमआई, ग्राम बाग कलां हरेती, परगना सहारनपुर आबादी चन्द्र विहार कॉलोनी, तहसील एवं जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001 पर स्थित, विक्रय विलेख 8939 के माध्यम से, विक्रय विलेख दिनांक 14.12.2016 सहारनपुर में पंजीकृत के माध्यम से।						
देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-371	1661082 [141- 00005501	मंजीत (कर्जदार)/अनीता देवी (सह-कर्जदार)	रु. 10,87,836.37/- (रुपये दस लाख सत्तासी हजार आठ सौ छत्तीस एवं सैंतीस पैसे मात्र) 09.09.2020	21.01.2021	सांकेतिक कब्जा
सम्पत्ति का विवरण : बंधक सम्पत्ति/प्लॉट खेवट सं. 977, खाता सं. 1341, किला सं. 33/3(6-19), 8/1(2-0) का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम 15 फीट, उत्तर से दक्षिण 45 कुल क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, राजस्व सम्पदा गांधी नगर, खेड़ी रोड, तहसील-कनौर, सोनीपत निकट पहल गार्डन, सोनीपत, हरियाणा-131101 पर स्थित, एम.सी. सीमा के भीतर, गनौर, सीमाएं : उत्तर : प्लॉट दीगर, दक्षिण : गली 20 फीट चौड़ी, पूर्व : प्लॉट दीगर, पश्चिम : प्लॉट दीगर।						

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन उपर्युक्त राशि तथा उस पर ब्याज के लिए ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

अधिकृत प्राधिकारी
ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
स्थान : दिल्ली, तिथि : 23.01.2021

www.readwhere.com